राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 122/2020 जीसीएमएस नम्बर :— 2020/00245

1. अनुप सिंह पुत्र रोहिताश उम्र 26 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
2. संदीप कुमार पुत्र रोहिताश उम्र 24 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
3. रिशाली देवी पत्नी रोहिताश उम्र 60 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
4. अनिता पुत्री रोहिताश पत्नी सुरेश कुमार उम्र 34 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
5. सुमन पुत्री रोहिताश पत्नी औमप्रकाश उम्र 28 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
6. सुमन पुत्री रोहिताश पत्नी ओमप्रकाश उम्र 28 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)

.....वादीगण

— ब ना म —

1. उमराव सिंह पुत्र श्री गणेश उम्र 85 साल,
2. रामप्यारी पत्नी स्व. महावीर उम्र 53 साल
3. चन्द्रकलां पत्नी देशराम उम्र 60 साल,
4. दलीप पुत्र देशराम उम्र 40 साल,
5. मंदरूप पुत्र सुरजा उम्र 55 साल,
6. महेन्द्र पुत्र सूरजा उम्र 50 साल,
7. रमेश पुत्र देशराम उम्र 35 साल

   समस्त जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
8. रामावती पुत्री देशराम पत्नी पृथ्वी सिंह उम्र 38 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.) हाल आबाद मेहड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.)
9. रोशनी पुत्री सुरजा पत्नी दयानन्द उम्र 56 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.) हाल आबाद थाना तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि.
10. सजना पुत्री सुरजा पत्नी रामसिंह उम्र 52 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) हाल आबाद थाना तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि.
11. हंसराम पुत्र सुरजा उम्र 60 साल जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
12. उपपंजियक महोदय सिंघाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 10:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

14. मीरसिंह पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिलाझुंझुनूं (राज.)
15. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना।
16. दयानंद पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंघाना।
18. ग्राम पंचायत भैसावता खुर्द जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भैसावता खुर्द।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थिति –

1. श्री जगदेव यादव यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से श्री राजेश यादव अधिवक्ता शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही ।

धोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 07/02/2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा है कि–

1. यह कि वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि खाता स. 25 के ख.न. 275 , 276, 278, 279 कुल किता 4 कुल रकबा 6.51 हैक्टर प्रतिवादी स. 2 लगायत 11 के नाम अलग – अलग हिस्से अनुसार हाल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 मे दर्ज रिकॉर्ड हैं।
2. यह कि उक्त भूमि ख.न. 275, 276, 278, 279 पुराने ख.न. 140, 141 व 151 से बने हैं उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज गणेश की खातेदारी की भूमि हैं जिसमें वादीगण का भी 1/4 हिस्सा बनता हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण व उसके पिता रोहिताश का नाम दर्ज होने से रह गया । वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली भी पेश की गई।
3. यह कि उक्त विवादित भूमि सवंत् 2031 से 2033 की जमाबन्दी मे वादीगण के दादा जी गणेश के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही हैं उसके बाद संवत् 2043 की जमाबन्दी मे उक्त विवादित भूमि मे गणेश के वारीसान उमराव सिंह , रोहिताश पुत्रान गणेश का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड रहा हैं लेकिन अगली जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 मे वादीगण के पिता रोहिताश का नाम राजस्व कर्मचारीयो की गलती से दर्ज होने से छुट गया तथा प्रतिवादी स.1 उमराव सिंह का नाम ही 1/2 हिस्से मे रह गया जबकि उक्त जमाबन्दी में प्रतिवादी स.1 उमराव सिंह के वादीगण के पिता व पति रोहिताश का भी 1/2 हिस्से मे नाम दर्ज होना चाहिए था तथा सवंत् 2044 से 2047 की जमाबन्दी के बाद के आज तक रिकॉर्ड मे वादीगण के पिता व पति का नाम दर्ज नही हुआ और न ही वादीगण का नाम दर्ज हुआ ।
4. यह कि उक्त विवादित भूमि मे वादीगण के पूर्वज गणेश का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा रोहिताश की मृत्यु के बाद वादीगण प्रत्येक का 1/20 , 1/20 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/20 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि वादीगण को उक्त राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण का नाम दर्ज नही होने और अब राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने के लिए वादीगण ने प्रतिवादी स.1 को बार – बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी स.1 ने उक्त विवादित भूमि मे वादीगण का नाम दर्ज नही करवाया। अब 20 जुलाई 2020 को भी वादीगण ने प्रतिवादी स.1 को विवादित भूमि मे प्रतिवादी स.1 के 1/2 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी स.1 का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक वादीगण का 1/20 हिस्सा दर्ज करवाने के लिए कहा तो ऐसा करने से मना कर दिया। तथा दिनांक 27.07.2020 को प्रतिवादी स.1 ने विवादित भूमि का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर तथा वादीगण को बिना बताये बाला – बाला उक्त भूमि की अपनी पुत्र वधु प्रतिवादी स.2 के हक मे उपहार पत्र उप पंजियक सिघाना मे तस्दीक करवा दिया। जबकि प्रतिवादी स.1 को उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा का उपहार पत्र तस्दीक करवाने का कोई अधिकार नही थाक्योकि उक्त भूमि मे प्रतिवादी स.1 का 1/4 हिस्सा ही आता हैं शेष 1/4 हिस्सा वादीगण के हिस्से मे आता हैं इस प्रकार प्रतिवादी स.1 ने प्रतिवादी स.2 ने मिलकर वादीगण के अधिकारो का हनन किया हैं तथा प्रतिवादी स.1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तानान्तरण किया हैं जो शुन्य तथा एक शुन्य हस्तानान्तरण वादीगण के अधिकारो पर निष्प्रभावी हैं।

6. यह कि उक्त फर्जी उपहार पत्र के आधार पर प्रतिवादी स.2 ने अपने नाम से इन्तकाल भी दर्ज करवा लिया हैं जो खारीज होने योग्य हैं प्रतिवादी स.1 वादीगण को प्रारम्भ से ही गुमराह कर रहा था तथा प्रतिवादी स.1 के एक ही पुत्र महावीर था जिसका देहान्त हो चुका हैं तथा प्रतिवादी स.2 उक्त महावीर की पत्नि हैं जो प्रतिवादी स.1 की पुत्र वधु हैं उक्त भूमि वैसे भी प्रतिवादी स.1 की मृत्यु के बाद प्रतिवादी स.2 के नाम से ही आनी थी लेकिन प्रतिवादी स.1 के मन मे बेईमानी थी तथा वादीगण के अधिकारो का अतिक्रमण करके वादीगण के हिस्से की भूमि भी प्रतिवादी स.2 के हक मे उपहार पत्र तस्दीक करवा दिया। इससे साफ जाहिर होता हैं कि प्रतिवादी स.1 व 2 ने वादीगण के अधिकारो का हनन करने के लिए फर्जी कार्य किया हैं।

7. यह कि उक्त विवादित भूमि मे अब प्रतिवादीया स.2 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज हैं जो रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठाकर अब उक्त भूमि का रहन , दान , बेचान ,कर हस्तांतरित कर सकती हैं तथा वादीगण को उक्त भूमि से वंचित करना चाहते हैं इसलिए प्रतिवादी स.2 स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं कि वह रिकॉर्ड मे दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि को किसी भी तरह से हस्तातंरित ना करे अथवा रहन , दान , बेचान न करे। तथा उक्त भूमि मे प्रतिवादीया स.2 रामप्यारी का 1/2 हिस्सा के स्थान पर रामप्यारी पत्नि स्व. महावीर का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर तथा वादीगण का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं।

8. यह कि दावे के लिए आधार विवाद दिनां[illegible] को प्रतिवादी स.1 द्वारा प्रतिवादीया स.2 के हक मे उपहार पत्र तस्[illegible] क[illegible] से तथा वादीगण द्वारा उक्त हस्तानान्तरित की जानकारी हो[illegible] रिकॉर्ड को [illegible] दिनांक 26.08.2020 को लेने से पैदा हुआ जो दावा सावधि पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

9. यह कि उक्त विवादित भूमि वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे पड़ता हैं अतः दावे की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

10. यह कि राज. कास्त अधिनियम मे दावा घोषणात्मक , रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 1– 1 रू. कोर्ट फीस पर दावा पेश करना नियत हैं अतः दावा 3/–रू. कोर्ट फीस पर पेश हैं।

11. यह कि विवादित भूमि की हाल जमाबन्दी मे दर्ज सोनी देवी पत्नि सुरजा का देहान्त हो चुका हैं उनके वारीसान पहले से रिकॉर्ड मे दर्ज हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि –

(क). कि वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि खाता स. 25 के ख.न. 275 , 276, 278, 279 कुल किता 4 कुल रकबा 6.51 हैक्टर मे वादीगण को प्रत्येक का 1/20 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख). कि वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि खाता स. 25 के ख.न. 275, 276, 278, 279 कुल किता 4 कुल रकबा 6.51 हैक्टर मे रामप्यारी पत्नि स्व. महावीर हिस्सा 1/2 के बजाय रामप्यारी पत्नि स्व. महावीर हिस्सा 1/4 अनूप सिंह पुत्र रोहिताश हिस्सा 1/20 सन्दीप कुमार पुत्र रोहिताश हिस्सा 1/20 , रिशाली देवी पत्नि रोहिताश हिस्सा 1/20 , अनिता पुत्री रोहिताश हिस्सा 1/20 , सुमन पुत्री रोहिताश हिस्सा 1/20 रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग). कि प्रतिवादी स. 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) भूमि खाता स. 25 के ख.न. 275, 276, 278, 278, 279 कुल किता 4 कुल रकबा 6.51 हैक्टर मे वादीगण के हिस्से की भूमि मे कोई अतिकमण न करे तथा किसी तरह का हस्तांतरण ना करे।

(घ). कि अन्य अनुतोष जो आयाचित हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड) कि खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से राजेश यादव अधिवक्ता उपस्थित आए जिन्होने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जबाव दावा मय प्रतिवादा इस प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि वादपत्र का खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर एंव रकबा सही होना स्वीकार है शेष गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि के 1/2 हिस्सा का खातेदार था, जिसने अपना ... हिस्सा अपनी पुत्रवधु प्रतिवादी संख्या 2 को उपहार ... किया ... पत्र दिनांक 27.07.2020 को उप–पंजीयक सिंघाना के यहां पंजीकृत करवा ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वादपत्र का खण्ड संख्या 2 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। भूमि हाल खसरा नम्बर 275, खसरा नम्बर 276, खसरा नम्बर 278, ख.नं. 279 के पुराने खसरा नम्बर 140, खसरा नम्बर 141, खसरा नम्बर 151, किता 3 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा के इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी का 1/4 हिस्सा था। उनके भाई बुजिया की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु होने से 1/3 हिस्सा हुआ एवं बाद में गणेश के पुत्र रोहिताश वादीगण का हकपूर्वाधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अलग हुआ तो गांव भैंसावताकलां की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को मिली व गांव मोई भारू की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रोहिताश को प्राप्त हुई है एवं आज भी वादीगण गांव मोई भारू में काबिज हैं एवं आबाद हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 गांव भौसावता में काबिज व आबाद हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके वारीसान ने गांव भैसावता स्थित भूमि में कूप एवं मकान बना रखे हैं। विधुत संयोजन ले रखा है एवं अपनी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज एवं आबाद हैं तथा वादीगण गांव मोई भारू में स्थित भूमि में कृषि करते हैं व मकान बनाकर काबिज एवं आबाद है। पक्षकारान की वंशवली वादीगण ने गलत दर्जकी है।

3. यह कि चतरूराम का एक पुत्र बुजिया की नाऔलाद अविवाहित फौत होने पर चन्दगीराम जिसे चंदरिया दर्ज किया है, उसका 1/3 हिस्सा एवं गणेश वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हकपूर्वाधिकरी का 1/3 हिस्सा एवं जयकरण का 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि गत ख.नं. 140, ख.नं. 141, ख.नं. 151 ग्राम भैसावताकलां का संवत 2030 से 2033 में इन्द्राज हुआ है। चुंकि पक्षकारान की गांव मोई भारू में गत ख.नं. 76 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा एवं गत ख.नं. 239 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तथा गत ख.नं. 241 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि चन्दरीया (चन्दगीराम) बुजिया, गणेश एवं जयकरण की खातेदारी में भी जिसके बुजिया के नाऔलाद फौत होने पर चन्दगी (चंदरीया) के वारिस सुरजाराम के 1/3 हिस्सा गणेश के 1/3 हिस्सा एवं जयकरण के वारीसान के 1/3 हिस्स दर्ज हुई है, जिसके बंदोबस्त बाद हाल ख.नंत्र 84 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.39 हैक्टेयर किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर कायम किए गए हैं। गणेश के पुत्रान रोहिताश व उमराव अपने पिता गणेश के जीवनकाल में ही अलग हो गऐ थे। प्रतिवादी संख्या 1 भैंसावता की भूमि प्राप्त कर वहां कूप, मकान आदि बनाकर काबिज हो गया एवं रोहिताश गांव मोई भारू वाली भूमि मे मकान आदि बनाकर काबिज हो गया है। गांव मोई भारू में चाही की भूमि ख.नं. 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6. 00 हैक्टेयर भी हैं, जिसमें गणेश के हिस्से में ...13 हैक्टेयर रकबा आता था। इस प्रकार गांव भैसावता की भूमि में ... श के 1/3 हिस्सा में 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि आती थी एवं गांव मोई में 8 बीघा ... बिस्वा भूमि आती थी। लेकिन गणेश व उसके भाईयों ने भी ... कर लिया एवं गांव भैसावता की 1/2 हिस्सा भूमि गणेश के पुत्र प्रतिवादी संख्या ... ने ले ली एवं 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सुरजा ने प्राप्त कर लिया एवं जयकरण के वारिसान ने गांव अमरपुरा में जो भूमि थी वो ले ली। उसके बाद जब गणेश के पुत्र रोहिताश व उमराव अलग हुए तो रोहिताश (वादीगण के हकपूर्वाधिकरी) ने गांव मोई भारू में गणेश का सम्पूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने गांव भौसावता स्थित गणेश का सम्पूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लिया एवं जयकरण ने गांव अमरपुरा में भूमि प्राप्त की उसके बदले प्रतिवादी संख्या 1 व सूरजा ने गांव भैसावता में भूमि प्राप्त कर ली एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने भैसावता स्थित सम्पूर्ण हिस्सा अपनी पुत्रवधु प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उपहार कर दिया है। इस प्रकार गांव मोई भारू स्थित भूमि को वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा गांव भैसावताकलां स्थित सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिए गांव भैसावता की भूमि से वादीगण का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है एवं यह दावा खारीज होने योग्य है। जवाबदाताओं की और से अपना नाम गांव मोई भारू से हटवाने अर्थात खाता विभाजन में गांव भैसावता की भूमि प्राप्त करने व गांव मोई भारू की भूमि वादीगण को देने बाबत इस जवाब दावा के साथ ही प्रतिदावा पेश किया जा रहा है। इस प्रकार वादीगण ने तथ्यों को छिपाकर यह दावा पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

4. यह कि वादपत्र का खण्ड नम्बर 4 गलत है स्वीकार नहीं है। इस संबंध में विस्तृत उत्तर जवाबदावा के खण्ड संख्या 3 में दिया जा चुका है। वादीगण का इस दावा में वर्णित भूमि पर ना तो कब्जा है ना ही खातेदारी दर्ज है। इसलिए बिना कब्जा के घोषणात्मक अनुतोष का दावा पोषणीय नहीं है, ना ही वादीगण ने बेदखली का अनुतोष चाहा है। इसलिए वादीगण को गांव मोई व भैंसावता की सम्पूर्ण भूमि को एक साथ मिलाकर खाता विभाजन का दावा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से यह खाता विभाजन घोषणात्मक अनुतोष सहित समस्त तथ्यों के साथ प्रतिदावा पेश किया जा रहा है।

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 5 गलत है स्वीकार नहीं है। वादीगण ने समस्त तथ्य गलत दर्ज किए हैं। वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। सम्पूर्ण एंव विस्तृत उत्तर जवाबदाताओं द्वारा जवाब दावा के खण्ड संख्या 3 में दिया जा चुका है। साथ ही पंजिकृत विक्रय विलेख को केवल सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में पंजिकृत करवाया गया उपहार पत्र दिनांक 27.07.2020 वादीगण एवं सभी पर प्रभावकारी है। इसलिए वादीगण का यह दावा खारीज होने योग्य है।

6. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा एवं रकबा प्रतिवादी संख्या 2 को उपहार मे दिया है तो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से नामांतकरण सही दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 के नामांतकरण एवं उपहार पत्र को आज तक वादीगण ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है तो वह खारीज नहीं हो सकता है, ना ही खारीज योग्य है। प्रतिवादीगण संख्या 1 की पुत्रवधु प्रतिवादी [illegible] होना स्वीकार है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हक व हिस्से [illegible] पुत्रवधु के हक में उपहार करने का सम्पूर्ण हक व अधिकार [illegible] अपने [illegible] अधिकार कानूनी प्रावधानों के अनुसार हस्तानांतरित किए [illegible] खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

7. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 7 गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 को अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करने का सम्पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने खातेदारी अधिकारों को हस्तानांतरित करने या स्वयं उपयोग–उपभोग करने को स्वतंत्र है। उसे प्रतिषेद्ध नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत उत्तर जवाबदावा के खण्ड संख्या 3 में दिया जस चुका है। एवं इस बाबत् प्रतिदावा अलग से पेश किया जा रहा है। इसलिए वादीगण का यह दावा खारीज किए जाने योग्य है।

8. यह कि वादपत्र का खण्ड संख्या 8 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण का उपहार पत्र दिनांक 27.07.2020 को चैलेंज करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण ने समस्त तथ्य गलत दर्ज किए हैं। सही तथ्यों को छिपाया है, इसलिए वादीगण का यह दावा खारीज होने योग्य है।

9. यह कि वाद पत्र क खण्ड संख्या 9 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 27.07.2020 को उपहार पत्र पंजिकृत करवाया गया है, उसे केवल सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए वादी का यह दावा बिना क्षेत्राधिकार के है एवं खारीज योग्य है।

10. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 10 गलत है, स्वीकार नहीं है।

11. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 11 गलत होने से स्वीकार नहीं है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा खारीज किए जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रतिदावा निम्न प्रकार सेवामें पेश है–

1. यह कि ग्राम भैसावता कलां स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 151 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 140 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 141 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार चन्दगी (चन्दरिया) गणेश, जयकरण एवं बुजिया बहिस्सा बराबर थे। बुजिया की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु होने से चन्दगी, गणेश एवं जयकरण को उसका हिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त हुआ तथा गांव मोई भारू में चन्दगी, गणेश, जयकरण एवं बुजिया की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 76 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 239 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 141 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल भूमि 23 बीघा 18 बिसवा थी जिसमें भी बुजिया के नाऔलाद अविवाहित फोत होने पर गणेश, चन्दगीराम (चंदरिया) एवं जयकरण हिस्सा बराबर खातेदार बन गए थे अर्थात तीनों भाईयों का गांव भैसावता व मोई भारू में बराबर–बराबर हिस्सा था, लेकिन उक्त तीनों ही भाईयों ने अपनी भूमि का मौके पर विभाजन कर लिया था। खातेदारी भूमि का मौके पर विभाजन कर लिया था। खातेदारी संयुक्त थी, उसके बाद गणेश के पुत्रान ने भी गणेश के जीवनकाल में ही गणेश के हिस्से एवं काब्जा काश्त की भूमि का विभाजन कर काश्त करने लगे। गांव भैसावता की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई तथा [illegible] की भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रोहिताश को प्राप्त हुई एवं [illegible] दोनों काबिज हो गए। गांव भैसावत की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ने कृ[illegible]कर उसमें विधुत संयोजन ले लिया एवं मकान बना लिए एवं काबिज [illegible] गांव मोई भारू स्थित भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी को प्राप्त [illegible] पर उसने भी अपनी इस भूमि में

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

कूप बनाकर विधुत कनेक्शन ले लिया एवं मकान आदि बनाकर काबिज एवं आबाद हो गया। अब प्रतिवादी संख्या 1 व उसके वारीसान अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 गांव भैसावता की भूमि पर काबिज हैं एवं उपहार पत्र दिनांक 27.07.2020 के आधार पर वह खातेदार भी बन चुकी है एवं गांव मोई भारू स्थित भूमि पर वादीगण काबिज हैं एवं इनसे पहले उनका हकपूर्वाधिकारी रोहिताश काबिज एवं आबाद था। इस प्रकार गांव भैसावता स्थित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की एवं उसके द्वारा उपहार पत्र करवाने से अब यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की है तथा गांव मोई भारू की भूमि वादीगण की है। इसी अनुसार पिछले 50 वर्षों से काबिज एवं आबाद है।

2. यह कि गांव मोई भारू स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 76 खसरा नम्बर 239 एवं खसरा नम्बर 241 के हाल खसरा नम्बर 84 रकबा 1.70 हैक्टेयर खसरा नम्बर 85 रकबा 1.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 86 रकबा 1.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0. 39 हैक्टेयर किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर कायम किए गए हैं तथा गांव भैसावता स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 140 खसरा नम्बर 141, खसरा नम्बर 151 के हाल खसरा नम्बर 275 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 278 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 1.84 हैक्टेयर किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर कायम किए गए है।

3. यह कि वाके ग्राम मोई भारू स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टेयर भी हैं, जिसमें गणेश के हिस्से में कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर रकबा आता था। यह भूमि भी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रोहिताश को ही पारिवारिक समझौते में प्राप्त हुई थी।

4. यह कि वाके ग्राम भैसावता स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 275, 276, 278, 279, किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर एवं गांव मोई भारू स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 84, 85, 86, 171, 406, 408 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर दोनों ही भूमियों का चन्दगी गणेश एवं जयकरण नेमौके पर बांट रखा था। गांव भैसावता कलां की भूमि 1/2 हिस्सा गणेश के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के पास थी एवं 1/2 हिस्सा चन्दगी उर्फ चन्दरीया के पास थी जिसे बाद में इसी प्रकार उनकी खातेदारी में दर्ज किया गया एवं गांव मोई भारू स्थित भूमि के 1/3 हिस्सा का खातेदार जयकरण उसके बाद उसका पुत्र दयानन्द दर्ज हुआ तथा 1/3 हिस्सा के खातेदार चन्दगी एवं उसके बाद उसके वारिसान सुरजा एवं मनकोरी बेवा हनुमान दर्ज हुए तथा 1/3 हिस्सा गणेश के वारीसान दर्ज हुई। गणेश के जीवनकाल में ही उसके पुत्र रोहिताश व उमराव ने इस भूमि का पारिवारिक समझौता कर लिया था। इसलिए मोई भारू की भूमि रोहिताश ने प्राप्त की तथा गांव भैसावता की भूमि उमराव प्रतिवादी संख्या 1 ने प्राप्त कर ली तथा गांव भैसावता की भूमि के बदले जयकरण के वारिसान को गांव अमरपुरा में भूमि प्राप्त हुई थी।

5. यह कि गांव भैंसावता कलां स्थित भूमि 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर में गणेश का 1/3 हिस्सा था, जिसके अनुरूप उसके हिस्से में 2.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

हैक्टेयर रकबा आता था तथा गांव मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 84, 85, 86, 171, 406 एवं 408 कुल रकबा 6.04 हैक्टेयर में गणेश का 1/3 हिस्सा था, जिसके अनुसार उसके हिस्से में 2.02 हैक्टेयर रकबा आता था एवं गांव मोई भारू स्थित दूसरी भूमि 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टेयर में गणेश का 1/48 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टेयर मं गणेश का 1/138 हिस्सा भी हैं, जिसमें गणेश के हिस्से में कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर रकबा आता था। इस प्रकार गांव मोई भारू में गणेश का 2.15 हैक्टेयर रकबा था एवं गांव भैसावता में 2.17 हैक्टेयर रकबा था। चुंकि गांव भैसावता की भूमि हल्की व कम उपजाऊ थी। इसलिए गणेश का गांव भैसावता स्थित भूमि का हिस्सा उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 उमराव को दिया गया एवं गांव मोई भारू स्थित भूमि गणेश ने अपने दूसरे पुत्र रोहताश को दे दिया एवं मूल रूप से उक्त लोग गांव मोई भारू के निवासी थे, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 दूसरे गांव भैसावता में अपने हिस्से की भूमि में आबाद हो गया। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी गणेश ने सम्पूर्ण भूमि का पारीवारिक समझौता अपने जीवनकाल में ही कर दिया था एवं भैसावता स्थित सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को 50 वर्ष पूर्व प्राप्त हो गया था एवं गांव मोई भारू स्थित सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण को प्राप्त हो गया था। उसी अनुसार 50 वर्ष से काबिज एवं राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने एवं विभाजन करवाने के अधिकारी है।

6. यह कि वाके ग्राम मोई भारू तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, खसरा नम्बर 406, खसरा नम्बर 408, खसरा नम्बर 84, खसरा नम्बर 85, खसरा नम्बर 86 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा एवं वादीगण का 1/6 हिस्सा है। लेकिन यह भूमि पूर्ण रूप से वादीगण के पास है तथा गांव भैंसावता कला स्थित भूमि ख.नं. 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा था जो अब प्रतिवादी संख्या 2 के पास हैं अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा था जो अब प्रतिवादी संख्या 2 के पास है। लेकिन ग्राम मोई भारू स्थित भूमि का खाता संयुक्त है तथा गांव भैसावता की भूमि का भी खाता संयुक्त है। इस प्रकार वादीगण ने गांव भैसावता कलां स्थित भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाना चाहा है। जबकि किसी तकनीकी कारण से वादीगण का कोई हिस्सा गांव भैसावता की भूमि में होना माना जाता है। तो भी गणेश के 1/3 हिस्से में से 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा ही माना जाएगा। इसलिए यदि वादीगण का गांव भैसावता स्थित भूमि में 1/6 हिस्सा व गांव मोई भारू स्थित भूमि में 1/6 हिस्सा होना माना जाता है, तो मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाता है तो वादीगण को गांव भैसावता में कुल 6.51 हैक्टेयर रकबा में गणेश के 1/3 हिस्सा में से 1/2 [illegible] 6 हिस्सा मिलता है तो 1.08 हैक्टेयर रकबा वादीगण के हिस्से में आता [illegible] तथा गांव मोई भारू में गणेश के 1/3 हिस्से में से 1/2 [illegible] 1/2 हिस्से [illegible] अनुसार 6.04 हैक्टेयर मे 1.01 हैक्टेयर रकबा हिस्से में आता है [illegible] हिस्से में यदि उसका भैसावता कलां व मोई भारू दोनों में हिस्सा माना जा[illegible] है तो गणेश के वारीसान के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्सा माना जाता है तो कुल 1.08+1.01+0.06 हैक्टेयर कुल 2.15 हैक्टेयर रकबा
उनके हिस्से में आता है। यदि वादीगण को गांव मोई भारू स्थित सम्पूर्ण भूमि
विभाजन में दी जाती है तो गांव मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, 406,
408, 84, 85, 86 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा के अनुसार 2.02
हैक्टेयर रकबा एवं गांव कोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 204, 205, 206, 207,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 249,
456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टेयर में गणेश का
1/48 हिस्सा जिसके अनुसार गणेश के हिस्से में 0.08792 हैक्टेयर रकबा एवं
खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.
00 हैक्टेयर में गणेश का 1/138 हिस्सा हैं, जिसकेअनुसार गणेश के हिस्से में 0.
04348 हैक्टेयर रकबा आता है जो कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर रकबा आता है अर्थात
गांव मोई भारू स्थित कुल रकबा 2.02+0.13 अर्थात 2.15 हैक्टेयर रकबा ही
वादीगण के हिस्से में आता है एवं गांव भैसावता व मोई भारू सम्पूर्ण भूमि को
मिलाकर भी वादीगण के हिस्से में 2.15 हैक्टेयर रकबा ही आता है। इसलिए गांव
मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 249, 456/170, 494/262, 89,
90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टेयर में गणेश का 1/48 हिस्सा जिसके अनुसार
गणेश के हिस्से में 0.08792 हैक्टेयर रकबा एवं खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171,
495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टेयर में गणेश का 1/138 हिस्सा
हैं एवं मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, 406, 408, 84, 85, 86 किता 6
रकबा 6.04 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात कुल 2.15 हैक्टेयर रकबा
वादीगण को दिया जाकर गांव भैसावता स्थित भूमि खसरा नम्बर 275, खसरा नम्बर
276, खसरा नम्बर 278, खसरा नम्बर 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर में प्रतिवादी
संख्या 2 के नाम प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर दर्ज हो चुका रकबा प्रतिवादी
संख्या 2 के नाम रखे जाने योग्य है। क्योकि गांव भैसावता की भूमि में वादीगण एवं
प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी गणेश का केवल 1/3 हिस्सा था जिसके अनुसार
वादीगण के हक को सही माना जाए तो भी वादीगण के हकपूर्वाधिरी रोहिताश का
1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 कुल 1/3 हिस्सा में 2.17 हैक्टेयर रकबा ही
आता है। इसलिए वादीगण अब 1/6 हिस्से से ज्यादा की मांग नहीं कर सकते हैं।
अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्सा नहीं मांग
सकते जो हिस्सा गणेश के दर्ज था उसमें से ही 1/2 हिस्सा मांग सकते हैं।
गणेश के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज था तो वादीगण उसमें से केवल 1/2 हिस्सा
अर्थात कुल 1/6 हिस्सा ही मांग सकते है। एवं 1/6 हिस्सा के अनुसार वादीगण
के हिस्से में केवल 2.15 हैक्टेयर रकबा दोनों गांवों में आता है जो गांव मोई भारू
मे वादीगण ने प्राप्त कर रखा है एवं का[illegible] प्रकार गांव मोई भारू की भूमि
से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ [illegible] ग[illegible] पुत्र चतर सिंह के नाम दर्ज है।
सम्पूर्ण हिस्सा केवल वादी[illegible] को दिया जा[illegible] के नाम दर्ज किया जाए एवं गांव
भैसावता कलां स्थित भूमि में प्रतिवादी[illegible] के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 का
नाम बदस्तुर रखा जावे जिससे भूमि का [illegible]क कब्जे काश्त एवं 50 वर्ष पूर्व हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

इस पारिवारिक समझौते के अनुसार विभाजन भी हो जाएगा एवं पक्षकारान में विवाद भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से यह प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ।

7. यह कि प्रतिदावाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 गांव भैसावता कलां स्थित भूमि में कूप व मकान बनाकर विधुत संयोजन लेकर काबिज हैं। अपनी भूमि के तारबंदी कर रखी है एवं सीमाए कायम कर रखी है तथा वादीगण गांव मोई भारू स्थित भूमि पर काबिज हैं एवं आबाद हैं एवं पीछले 52 वर्ष से भी अधिक समय से इसी अनुसार काबिज हैं। अब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 27.07.2020 के बाबत आपत्ति करने एवं यह दावा पेश करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से मे अपना नाम दर्ज करवाने एवं गणेश का 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्से की अपेक्षा 1/4 हिस्सा की मांग करने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता।

8. यह कि प्रतिदावा के लिए आधार विवाद वादीगण द्वारा यह दावा पेश करने एवं गलत रूप से गांव भैसावता की भूमि में 1/4 हिस्सा की मांग करने एवं गांव मोई भारू व भैसावता कलां स्थित भूमि का 50 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व मौके पर विभाजन होने एवं अब वादीगण द्वारा केवल गांव भैसावता की भूमि का दावा पेश करने से एवं अब प्रतिवादी संख्या 1 का नाम गांव मोई भारू में दर्ज रहने से पैदा हुआ है। अतः प्रतिदावा अंदर मियाद है। वैसे भी ऐसे दावों के लिए कानून मे कोई मियाद नहीं है।

9. यह कि वादवर्णित भूमि वाके ग्राम मोई भारू व ग्राम भैसावता कलां में स्थित है, जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में हैं इसलिए दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

10. यह कि प्रतिदावा घोषणा के लिए एक रूपया, खाता विभाजन के लिए एक रूपया एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए एक रूपया कोर्ट फीस नियत है। इसलिए यह दावा कुल तीन रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

11. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 एवं 16 व 18 संयुक्त खातेदार हैं। प्रतिवादी संख्या 17 से 19 लोन लिया हुआ है जो आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

12. यह कि जवाबदावा द्वितीय प्रति में पेश है तथा जवाब दावा के समर्थन में प्रतिवादी का शपथपत्र पेश है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम भैसावता कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर की 1/2 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 को बदस्तुत जमाबंदी घोषित कर वाके ग्राम मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, 406, 408, 84, 85, 86 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर के 1/6 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर [illegible] को खातेदार दर्ज कर तथा वाके ग्राम मोई भारू स्थित भूमि [illegible] 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, [illegible] 221, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा [illegible] हैक्टेयर में गणेश को 1/48 हिस्सा जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अनुसार गणेश के हिस्से में 0.08792 हैक्टेयर रकबा एवं खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टेयर में गणेश का 1/138 हिस्सा जिसके अनुसार गणेश के 0.04348 हैक्टेयर रकबाआता है उसमें गणेश के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का आदेश दिए जाने की कृपा करें। विकल्प में गांव भैसावता कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा विभाजन में प्रतिवादी संख्या 2 को दिया जाकर गांव मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 171, 406, 408, 84, 85, 86 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा वादीगण को दिया जाकर एवं गांव मोई भारू स्थित भूमि खसरा नम्बर 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टेयर में गणेश का 1/48 हिस्सा जिसके अनुसार गणेश के हिस्से में 0.08792 हैक्टेयर रकबा एवं खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/262, 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टेयर में गणेश का 1/138 हिस्सा हैं, जिसके अनुसार उसके हिस्से में 0.04348 हैक्टेयर रकबा आता है, वह विभाजन में वादीगण को दिए जाने की कृपा करें।

(ख). कि वादीगण का दावा खारीज कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रतिदावा डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो प्रतिवादीगण को दिलवाए जाने कि कृपा करें।

बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया गया। इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावा को सही होने मानकर इकबाली जवाब पेश किया एवं राजीनामा पेश किया कि ग्राम भैसावता स्थित भूमि खसरा न. 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टर में प्रतिवादी स.1 का 1/2 हिस्सा दर्ज था जो उसने प्रतिवादी स. 2 के हक में उपहार पत्र करवा दिया जो बदस्तुर बना रहेगा तथा ग्राम मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 84, 85, 86, 171, 406, 408 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 व वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज था तथा ग्राम मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 21, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टर मे गणेश के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा तथा गांव मोई भारू स्थित भूमि खसरा न. 100 , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/265 , 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टर मे गणेश के नाम 1/138 हिस्सा यह सम्पूर्ण भूमि वादीगण [illegible] अर्थात् भैसावता कलां की भूमि से वादीगण का कोई सम्बंध सरोकार [illegible] रहेगा एवं गांव मोई भारू की भूमि से प्रतिवादी स.1 व 2 का कोई [illegible] सरोकार [illegible] रहेगा। दोनो पक्षो के राजीनामा एवं इकबाली जवाब एवं प्रतिदावा [illegible] मुताबिक राजीनामा निर्णय किया जाना न्यायोचित हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) ग्राम भैसावता कलां स्थित भूमि ख.न. 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टर का प्रतिवादी स. 2 को खातेदार घोषित किया जाता हैं। (2) ग्राम मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 84, 85, 86, 171, 406, 408 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टर मे से प्रतिवादी स. 1 के 1/6 हिस्से के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी स. 1 का नाम इस भूमि से हजफ किया जाता हैं तथा मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 21, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टर मे गणेश पुत्र चतरू के कुल हिस्सा 1/48 तथा गांव मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 100 , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/265 , 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टर में गणेश पुत्र चतरू हिस्सा 1/138 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं। तथा तहसीलदार बुहाना को आदेशित जाता हैं कि वह राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त प्रविशिष्टि दर्ज करे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 07/02/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–122/2020 **जीसीएमएस वाद संख्या : –2020/00245**
निर्णय दिनांक:– 07.02.2023

अनुपसिंह आदि बनाम उमरावसिंह आदि
दावा धोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से **श्री जगदेवसिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07/02/2023 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) ग्राम भैसावता कलां स्थित भूमि ख.न. 275, 276, 278, 279 किता 4 रकबा 6.51 हैक्टर का प्रतिवादी स. 2 को खातेदार घोषित किया जाता हैं। (2) ग्राम मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 84, 85, 86, 171, 406, 408 किता 6 रकबा 6.04 हैक्टर मे से प्रतिवादी स. 1 के 1/6 हिस्से के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी स. 1 का नाम इस भूमि से हजफ किया जाता हैं तथा मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 21, 249, 456/170, 494/262, 89, 90, 91 किता 23 रकबा 4.22 हैक्टर मे गणेश पुत्र चतरू के कुल हिस्सा 1/48 तथा गांव मोई भारू स्थित भूमि ख.न. 100 , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 455/170, 485/171, 495/265 , 97, 98, 99 किता 21 रकबा 6.00 हैक्टर में गणेश पुत्र चतरू हिस्सा 1/138 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं। तथा तहसीलदार बुहाना को आदेशित जाता हैं कि वह राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त प्रविशिष्टि दर्ज करे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07/02/2023 ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना